

हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मौजूद हैं



अधिक सुरक्षित राइड (सवारी)
के लिए आपकी गाइड

MCDOT
Montgomery County Department of Transportation

Ride On
Montgomery County Transit

www.RideOnBus.com     @RideOnMCT

ईमेल अलर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें
www.montgomerycountymd.gov/govdelivery

सहायता के लिए
311 (or 240-777-0311) पर कॉल करें,
सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक या किसी
भी समय यहाँ ऑनलाइन जाएँ:
www.montgomerycountymd.gov/mc311/

हमारी दुआएँ अमेरिका के और दुनिया भर में कोरोनावायरस से प्रभावित लोगों के साथ हैं। हम इससे विकसित होने वाले प्रभाव पर नज़र रखे हुए हैं और बेहतरीन सेवा प्रदान करते हुए अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तरीके अपना रहे हैं। कृपया स्वस्थ और सुरक्षित रहें!


COVID-19 के फैलाव को रोकने में मदद करने के लिए, Ride On ने निम्नलिखित लागू किये हैं:

- हर समय फेस कवरींग (नकाब) पहनना ज़रूरी है। ध्यान दें: CDC के अनुसार 2 वर्ष की आयु से कम के शिशुओं और बच्चों को फेस मास्क नहीं पहनना चाहिए।



- सभी बसों पर मुफ्त सवारी। सभी सेवाओं पर किराया लिये जाने को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।


- जब तक किसी विकलांग व्यक्ति या स्ट्रोलर (बच्चा-गाड़ी) के लिए रैंप की जरूरत नहीं है, तब तक पिछले दरवाज़ों से बस में चढ़ें।



- सामाजिक दूरी बनाए रखना: बसों में सभी यात्रियों को अपने और दूसरों के बीच छह (6) फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा, क्रमशः 30 फुट और 40 फुट वाली बसों पर 15 से 20 यात्रियों की क्षमता सीमा लागू की जाएगी।



- हर रात एक वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल किये जाने वाले एंटी-वायरल कीटाणुनाशक क्लीनर का इस्तेमाल करके हर बस को साफ किया जाता है



- बस के फिल्टर और वेंटिलेशन सिस्टम बस को बेहतर बनाने के लिए हर रात को साफ किया जाता है

- यह देखने के लिए कि क्या कोई बस आपके स्टॉप के पास आ रही है (विशिष्ट मार्ग के द्वारा उपलब्ध नहीं है) देखने के लिए रियल-टाइम बस स्थानों को rideon.app/busmap पर नक्शे का इस्तेमाल करके देखा जा सकता है।

- बस मार्गों और शेड्यूल के लिए Ride On की मौजूदा सेवा योजना देखने के लिए कृपया www.montgomerycountymd.gov/DOT-Transit/schedules.html पर जाएँ।

Montgomery काउंटी आश्वासन देती है कि किसी व्यक्ति से नस्ल, रंग, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर, जैसा कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम और 1987 के नागरिक अधिकार अधिनियम के शीर्षक VI द्वारा प्रदान किया गया है, को किसी भी कार्यक्रम या गतिविधि में भागीदारी लेने से नहीं रोका जाएगा, उससे होने वाले किसी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा, या अन्यथा भेदभाव नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या शिकायत दर्ज करने के लिए, कृपया Montgomery काउंटी के मानवाधिकार कार्यालय से संपर्क करें।

COVID-19 संबंधी नवीनतम अपडेट्स के लिए, MCDOT COVID-19 की वेबसाइट www.montgomerycountymd.gov/DOT/covid19.html पर जाएँ